छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ 21–18/2023/20–एक, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/02/2024

प्रति,

1. संचालक
   लोक शिक्षण संचालनालय
   इंद्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग.
2. समस्त, कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
3. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़

विषय – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत "न्योता भोजन" के दिशा–निर्देश।

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के भारत सरकार के गाइड लाइन 2022 के बिंदु क्रमांक 12 में दिये गये "तिथि भोजन" को छत्तीसगढ़ राज्य में "न्योता भोजन" के नाम से आदेश जारी होने की तिथि से लागू किया जाता है। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है। कृपया योजना का क्रियान्वयन समारोह पूर्वक करना सुनिश्चित करें। स्थानीय समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इसका समुदाय में प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 21–18/2023/20–एक, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/02/2024

प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय को सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ शासन, को सूचनार्थ।
4. संचालक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ।
5. समस्त, संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक एफ 21–18/2023/20–एक अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक

"न्योता भोजन" हेतु दिशा निर्देश

1. "न्योता भोजन"

1.1 "न्योता भोजन" की अवधारणा :

(1) "न्योता भोजन" की अवधारणा, मूल रूप से भारत सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की गाईडलाईन के कंडिका 12 में उल्लेखित तिथि भोजन से लिया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में भोजन हेतु आमंत्रित करने को **न्योता** कहा जाता है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में तिथि भोजन को **"न्योता भोजन"** के नाम से लागू किया जा रहा है।

(2) समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है।

(3) यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। ध्यान रहे न्योता भोजन शाला में दिये जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किये जाने वाले भोजन का पूरक है।

(4) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में भी न्योता भोजन की अवधारणा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभांवित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों पर मिठाई, नमकीन, फल आदि के रूप में अतिरिक्त वस्तु या पूर्ण भोजन प्रदान कर सकते है। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते है।

1.2 **न्योता भोजन के लाभ :**

(1) "न्योता भोजन" समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा।

(2) यह प्रधानमंत्री पोषण के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि करने में मदद करेगा।

(3) यह शाला और स्थानीय समुदाय के मध्य आपसी तालमेल के विकास में सहायक होगा।

(4) सभी समुदाय, वर्ग के बच्चों में समानता की भावना पैदा करने में मदद करेगा।

(5) पूरक पोषण के माध्यम से न्योता भोजन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने मे मदद करेगा।

1.3 **संभावित दाताओं की पहचान :**

(1) समुदाय में ऐसे दान दाताओं की पहचान की जा सकती है जो रोटेशन में माह में कम से कम एक दिन शाला में "न्योता भोजन" करा सके।

(2) दान दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें शाला की प्रार्थना सभा अथवा वार्षिक दिवस में सम्मानित किया जाये।

(3) भोजन दान की प्रकृति को महादान के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिये। जिसमें पूरे विद्यालय अथवा किसी कक्षा विशेष के बच्चों को "न्योता भोजन" कराया जाता है। "न्योता भोजन" के दिन दान–दाता को शाला में आमंत्रित किया जाना चाहिये। "न्योता भोजन" की घोषणा प्रार्थना के दौरान की जानी चाहिये। इस घोषणा में दान–दाता के नाम की भी घोषणा की जा सकती है अथवा उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है।

1.4 **"न्योता भोजन" के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सामग्रियां–**

(1) प्रदान की जाने वाली सामग्री में शाला के लिये पूर्ण भोजन, कक्षा विशेष के लिये पूर्ण भोजन अथवा अतिरिक्त पोषण आहार हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण या अतिरिक्त पोषण हेतु सामग्री प्रदान की जा सकती है जिसे शाला के रसोईयों के द्वारा बनाकर बच्चों को परोसा जा सकता है।

(2) दान–दाताओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला खाद्य पदार्थ अथवा सामग्री उस क्षेत्र के खान–पान की आदत (फुड हैबिट) के अनुसार होनी चाहिये।

(3) पूर्ण भोजन की स्थिति में नियमित रूप से दिये जाने वाले भोजन के समान बच्चों को दाल, सब्जी और चावल सभी दिया जाना है।

(4) फल, दूध, मिठाई, बिस्किट्स, हलवा, चिक्की, अंकुरित खाद्य पदार्थ जैसे सामग्री, जो बच्चों को पसंद हो का चुनाव अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री के रूप में किया जा सकता है।

(5) पौष्टिक एवं स्वादिष्ट मौसमी फलों का चयन भी पूरक पोषण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। मौसमी फल अपेक्षाकृत सस्ते एवं पौष्टिक होते है।

(6) शाला में बच्चों से पूछकर भी ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची तैयार की जानी चाहिये जो बच्चे "न्योता भोजन" में खाना चाहते हो। इस सूची को दान–दाताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहियें जिससे वे बच्चों के पसंद की खाद्य सामग्री का अपने बजट के अनुसार चयन कर बच्चों को "न्योता भोजन" में उपलब्ध करा सकते है। इससे दान–दाता तथा बच्चों दोनों को संतुष्टि प्राप्त होगी।

(7) "न्योता भोजन" हेतु किसी प्रकार की कैश/चेक शाला द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना है।

1.5 "न्योता भोजन" की आवृति एवं भागीदारी की भावना :–

(1) समुदाय की शाला में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये समुदाय के सदस्यों के मध्य माह में कम से कम एक दिन स्वच्छता एवं स्वच्छता प्रोटोकाल का पालन करते हुये "न्योता भोजन" को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(2)"न्योता भोजन" में बच्चे एक साथ बैठ सकते है और सही मायने में भोजन/अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का आनंद उठा सकते है।

1.6 खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित –

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी जारी दिशा–निर्देशों का पालन शाला स्तर पर किया जाता है इसके उपरांत भी उन दिशा–निर्देशों को पुनः दुहराया जाता है –

(1) बच्चों को ताजा गरम भोजन दिया जाना है। किसी भी Packed Item के मामले में उसकी समाप्ति तिथि की जांच अवश्य की जानी है।

(2) खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर एवं स्वादिष्ट होनी चाहिये। इसके साथ ही इसे बच्चों में स्वच्छता के साथ वितरण भी आसान होनी चाहिये।

(3) सब्जियों, फलों और जल्दी खराब होने वाली खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि बच्चों को वितरण तक यह ताजी रहे। अर्थात ताजी सब्जियों, फलों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का चुनाव किया जाना है।

(4) शीघ्र खराब होने वाली खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते है।

(5) भोजन परोसने के लिये उपयोग किये जाने वाले कंटेनर गैर–विषैले पदार्थों से बने होने चाहिये।

(6) खाद्य पदार्थों को परोसने के ठीक पहले इसे शिक्षकों/शाला विकास समिति के सदस्यों/रसोइया सह सहायकों/पालकों के द्वारा चखा जाना चाहिये।

(7) खाद्य पदार्थों के कंटेनर या कोई भी सामग्री जो खाद्य पदार्थ के संपर्क में आती हो, वे सभी जंग मुक्त तत्वों से बनी होनी चाहिये साथ ही वे खाद्य सामग्री को कोई विषाक्तता नहीं देते हो और इन्हें साफ करना, धोना या कीटाणु रहित करना आसान हो।

(8) भोजन सामग्री को उचित ढक्कन वाले कंटेनर में ढक कर रखा जाना चाहिये जिससे खाद्य पदार्थ को धूल, गंदगी, मक्खी या अन्य कीड़े–मकोड़ों से बचाया जा सके।

1.7 शाला प्रबंधन समिति की भूमिका –

(1) शाला प्रबंधन समिति की बैठकों के दौरान "न्योता भोजन" के प्रावधान, दान–दाताओं की पहचान, "न्योता भोजन" की समय सारणी पर चर्चा की जा सकती है।

(2) "न्योता भोजन" के दौरान बच्चों को प्रदान किये जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार और मात्रा पर बैठकों में चर्चा की जा सकती है।

(3) सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने में पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी।

1.8 "सबका प्रयास"–

सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु, "न्योता भोजन"को बढ़ाने के लिये "सबका–प्रयास" अवधारणा का उपयोग किया जाना चाहिये। सबका प्रयास, समुदाय का एक प्रयास हो सकता है। इसके लिये समुदाय को निम्नलिखित के बारे में जागरूक किया जा सकता है :–

(1) स्कूली बच्चों के लिये अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के प्रावधान के पोषण संबंधी लाभ से अवगत कराना। मौसमी फल जो कम कीमत वाले और विटामिन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हों, बच्चों को दिया जा सकता है।

(2) "न्योता भोजन" के तहत अतिरिक्त भोजन प्रदान करने में रूचि रखने वाले सभी समुदाय के सदस्यों के लिये शाला स्तर पर एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है।

(3) अधिकतम योगदान देने वाले समुदाय के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जा सकता है।

(4) वास्तव में सबका प्रयास के माध्यम से सभी समुदाय के सदस्य या तो पूर्ण भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ या फल/मिष्ठान आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। न्योता भोजन की अवधारणा को सफलतापूर्वक जनांदोलन बनाया जा सकता है।

1.9 पहल की निगरानी

(1) प्रदान किये गये भोजन की संख्या और प्रकार/अतिरिक्त खाद्य सामग्री और आवधिकता की जानकारी, संधारित करने के लिये, एक रजिस्टर रखा जाना है।

(2) शाला से विकासखण्ड कार्यालय में भेजे जाने वाले मासिक प्रपत्र में न्योताभोजन की जानकारी दी जानी है। जिस तिथि में "न्योता भोजन" प्रदान किया जाता है उस तिथि में विकासखण्ड स्तर पर न्योता भोजन अन्तर्गत विस्तृत जानकारी की प्रविष्टि की जानी होगी। इसकी प्रविष्टि राज्य साफ्टवेयर में की जानी है। "न्योता भोजन" तीन प्रकार के हो सकते है–

1 पूर्ण भोजन (शाला की सभी कक्षाओं हेतु)
2 आंशिक पूर्ण भोजन (शाला के किसी कक्षा विशेष हेतु)
3 अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री।

1.10 जागरूकता सृजन और पहल का प्रचार–प्रसार –

(1) सभी स्तरों पर जागरूकता लाने हेतु क्रियेटिव, पैम्फलेट, पोस्टर, मीम्स, छोटे वीडियो तैयार किये जा सकते हैं।

(2) समुदाय में जागरूकता लाने और इस पहल के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न अधिकारिक मीडिया प्लेटफार्म जैसे विभागीय वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का उचित उपयोग किया जा सकता है।

(3) योजना का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर अच्छे प्रदर्शन करने वाली शालाओं/संकुलों/ब्लाकों/जिलों को प्रतिवर्ष पुरस्कार/सम्मानित किया जा सकता है ताकि इस महान पोषण संबंधी पहल को जन–आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।

"न्योता भोजन" के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के दिशा निर्देश के अध्याय 12 में **"तिथि–भोजन"** के नाम से दिये गये हैं, कृपया उसका पालन करना भी सुनिश्चित करें।

(पुलक भट्टाचार्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क. एफ 21–18/2023/20–एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
4. संचालक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
5. महालेखाकार छ.ग. रायपुर, छत्तीसगढ़।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
7. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, पेंशनबाड़ा रायपुर।
8. स्टॉक फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग